राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1680/2025

इन्द्रजीत कौर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अति0 निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भरतपुर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उप जिला अस्पताल, रूपवास, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विश्वास सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर–ाा के पद पर उप जिला अस्पताल, रूपवास, जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पीएचसी चांदसमा, फलोदी बिना प्रशासनिक आवश्यकता के 750 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण के पश्चात उसके स्थान पर किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है, वर्तमान में पद रिक्त है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की माताजी शुगर हाई बीपी से पीड़ित है और लम्बे समय से नियमित इलाज चल रहा है। मेडिकल दस्तावेज की प्रति अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। आलौच्य आदेश में यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल भी अनुमत्त नहीं किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप जिला अस्पताल, रूपवास, जिला भरतपुर से पीएचसी चांदसमा, फलोदी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन किये जाने का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि *मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा एवं जल अभियोजन निराकरण विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया हुआ है।* आलौच्य आदेश में सक्षम स्तर से अनुमोदन लिया जाना अंकित है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:—

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

आलौच्य आदेश में यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं है। अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि अनुमत करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य